

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 134 : ¹[.....]

-
- 1 अधिसूचना क्रमांक 24/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा नियम 134 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022)

"^A[नियम 134 : विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना

(1) प्राधिकरण की बैठकों में गणपूर्ति उसके न्यूनतम तीन सदस्यों से होगी।

(2) यदि किसी बिन्दु पर प्राधिकरण के सदस्यों की राय भिन्न-भिन्न है तो उस बिन्दु का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

A इसके पूर्व अधिसूचना क्रमांक 14/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा नियम 134 प्रतिस्थापित

"नियम 134 : बहुमत द्वारा विनिश्चय

यदि प्राधिकरण के सदस्यों की राय किसी बिन्दु पर भिन्न है, बिन्दु बहुमत की राय अनुसार विनिश्चित होगा।